न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– संजू पारीक आर.ए.एस.

निगरानी अन्तर्गत धारा 97(1) पंचायती राज अधिनियम 1994

प्रकरण संख्या– 07 / 2024

1. हरिसिंह पुत्र जोराराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– आवेदक / प्रार्थी

बनाम

1. सन्तलाल पुत्र जोराराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. ग्राम पंचायत बिरकाली तहसील नोहर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बिरकाली पचांयत समिति नोहर।

– अनावेदकगण / अप्राार्थी

उपस्थित:– श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता प्रार्थी।

श्री चन्द्रशेखर अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–01

श्री रोहिताश सिहाग अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–02

निर्णय दिनांक:– 31/1/2025

प्रार्थी हरिसिंह पुत्र जोराराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ द्वारा निर्णय दिनांक 02.07.2024 अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति पंचायत समिति नोहर, जिसकी रूह से अपील सं. 48 / 2023 बनवानी सन्तलाल बनाम ग्राम पंचायत बिरकाली आदि स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बिरकाली द्वारा पट्टा सं. 27 दिनांक 05.10.2009 बहक आवेदक के पट्टा [illegible] किया, को निरस्त करवाने बाबत तथा पट्टा को आवेदक [illegible] की है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.03.28 14:06:44 IST
Reason: SelfAttested

1. निगरानीकृत निर्णय दिनांक 02.07.2024 विधि विरुद्ध तथ्यों के विपरित एंव प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने की वजह से निरस्त किये जोन योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

2. अनावेदक नम्बर 1 अपीलान्ट की तरफ से मातहत अदालत में अपील सं. 48/2023 बअनवानी सन्तलाल बनाम सरपच ग्राम पंचायत बिरकाली आदि इस कथन के साथ अपीलान्ट ने पेश की, कि अपीलान्ट के पिता का एक भूखण्ड पुराना कब्जा शुदा खरीद शुदा कब्जा उपयोग का तादादी 9745.5 वर्गफुट का है, जो लगभग 38 वर्ष पुराना कब्जा उपयोग उपभोग स्वामित्व का है जिसके उतर में सुरजाराम खाती व हजारीराम दक्षिण में कृष्णलाल व तुलछाराम बावरी व पूर्व में खाली, जगह भूखण्ड हजारीराम पश्चिम में सार्वजनिक रास्ता गली है तथा उपरोक्त भूखण्ड का उपयोग पहले अपीलान्ट का पिता करता था, उसके बाद बंटवारा में उपरोक्त भूखण्ड अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 दोनो के हिस्सा में ब.हि.ब. बांटकर निवास करने लगे तथा उपरोक्त प्लॉट के पूर्व में 1/2 हिस्सा अपीलान्ट के तथा पश्चिम में 1/2 हिस्सा रेस्पोडेन्ट सं. 2 के हिस्सा में आया तथा दोनो अपने अपने हिस्सा पर काबिज चले आ रहे है तथा रेस्पोडेन्ट सं. 2 एक लालची किस्म का व्यक्ति है। उसने लालच में आकर तत्कालीन सरंपच ग्राम पंचायत बिरकाली से पुराने गृहो का विनियमितिकरण का पट्टा धारा 157 पंचायत राज अधिनियम का जारी करवा लिया, जिसका ज्ञान अपीलान्ट का पहले नही था तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गया पटटा दिनांक 05.10.2009 विधि विरूद्व एवं कानून के विपरित होने के कारण अपास्त करने योग्य है तथा वादग्रस्त पट्टा बनाया। उस समय सरपंच ने मौका देखे बिना अपीलान्ट के कब्जा का पट्टा रेस्पोडेन्ट सं. 2 ने जारी करने में भूल की है तथा पट्टा नियम विरूद्व आदि आधार पर अपील प्रस्तुत की तथा अपील प्रस्तुत होने पर राजस्थान पंचायत राज अधिनियम सन् 1994 की धारा 61(1) के अन्तर्गत अपील पेश कर दर्ज रजिस्टर की गई तथा रेस्पोडेन्ट को जारी नोटिस तलब किया गया मगर रेस्पोडेन्ट इस निगरानी के आवेदक हरिसिंह को नियमानुसार कोई नोटिस जारी नही हुआ है तथा उसके स्वामित्व व आधिपत्य का भूखण्ड का पट्टा संख्या 27 दिंनाक 05.10.2009 नियमानुसार ग्राम पंचायत बिरकाली जारी किया है तथा उक्त भूखण्ड आवेदक रेस्पोडेन्ट के कब्जा में है तथा पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार पट्टा, पट्टा साधिकर आवेदक रेस्पोडेन्ट सं. 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत ने विधि अनुसार कार्यवाही करते हुये जारी किया है। मगर मातहत अदालत ने बिना किसी सही विश्लेषण आवेदक रेस्पोडेन्ट [illegible] जारी पट्टा को अपने निर्णय दिनांक 02.07.2024 को आवेदक के [illegible] सं. 27 दिनांक 05.10.2009 को खारिज कर दिया, [illegible] अपूर्णीय क्षति होती है। जिससे आवेदक निर्णय दिनांक 02.07.2024 बअदालत [illegible]हत को निरस्त करवाने हेतु तथा आवदेक के पक्ष में जारी पट्टा सं. 27 दिनांक 05.10.2009 को बहाल करवाने के लिए यह निगरानी प्रस्तुत कर रहा है, जो नियमानुसार स्वीकार किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.03.28 14:06:44 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

3. अध्यक्ष प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर के निर्णय दिनांक 02.07.2024 को पारित करते समय गहन अवलोकन नही किया है। निर्णय विधि सम्मत नही होने के कारण खारिज योग्य है।

4. मातहत अदालत ने मौका रिपोर्ट विवादित स्थल की प्राप्त करते समय आवदेक को कोई सुनवाई व सबूत का अवसर नही दिया है कतई एक तरफा मौके पर जाकर तैयार ना कर केवल राजनेतिक द्वेषता से वशीभूत होकर निर्णय दिनांक 02.07.2024 को पारित किया है, जो काबिल निरस्तनीय है।

5. उक्त भूखण्ड आवेदनक का सुभाषचन्द्र पुत्र रामप्रताप जाति जाट से खरीद शुदा है तथा खरीद के वक्त से कब्जा प्राप्त कर लिया था तथा उसके पश्चात ग्राम पंचायत बिरकाली से दिनाक 05.10.2009 को पट्टा सं. 27 नियमानुसार जारी करवाया है तथा उक्त भूखण्ड में आवेदक के भाई अनावेदक नम्बर 1 व अन्य भाईयों का कोई हक नही है क्योंकि उक्त भूखण्ड आवदेक के पिता का अर्जित नही है क्योंकि आवेदक का पिता का देहान्त दिनांक 25.06.1990 को ही हो चुका था तथा उक्त भूखण्ड सन् 2004 में विक्रेता सुभाष ने संजना पत्नि स्व. मुलाराम जाति सांसी निवासी बिरकाली नोहर से खरीद किया था तथा उसके पश्चात सुभाषचन्द्र ने आवेदक प्रार्थी हरिसिंह को बैय किया था। इसलिए इस भूखण्ड का अकेला आवेदक प्रार्थी हकदार है तथा अन्य किसी का कोई हक व हिस्सा नही है तथा अनावेदक सं. 1 अपीलान्ट ने तथ्य को छुपाकर मातहत अदालत में गलत आधारो पर अपील पेश की थी तथा निर्णय दिनांक 02.07.2024 इसी आधार पर काबिले खारिजी के है।

6. भूखण्ड आवेदक प्रार्थी अकेले के स्वामित्व का था तथा इसमें अन्य किसी को कोई हक व हिस्सा नही था फिर भी मातहत अदालत ने कोई जाँच ना कर आवदेक को सुनवाई का सम्पूर्ण अवसर ना देकर केवल राजनेतिक द्वेषता से वंशीभूत होकर निर्णय पारित किया है, जो निर्णय दिनांक 02.07.2024 काबिले निरस्तीय है।

ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार सम्पूर्ण जाँच कर नियमानुसार पट्टा स. 27 दिनांक 05.10.2009 आवदेक प्रार्थी के पक्ष जारी किया था, उसको खारिज कर मातहत अदालत ने [illegible]न्य प्रावधान की अनदेखी की है तथा निर्णय इसी आधार पर काबिले मंसुखी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.03.28 14:06:44 IST
Reason: SelfAttested

8. मातहत अदालत का आवेदक को सुनवाई व सबूत का समुचित अवसर ना देकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की अनदेखी की है, निर्णय इसी आधार पर काबिले खारिजी के है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

9. निर्णय दिनांक 02.07.2024 बअदालत मातहत निर्णय की परिभाषा में नही आता है तथा उक्त निर्णय पारित करते समय मातहत अदालत ने अपना न्यायिक स्वविवेक काम में नही किया है।

10. निगरानी आवेदक न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार की है तथा उचित कोर्ट फीस पर पेश है तथ निगरानी युक्ति युक्त समय पेश है।

अतः यह निगरानी आवेदक की तरफ से पेश कर निवेदन है कि निगरानी आवेदक स्वीकार जाकर निर्णय दिनांक 02.07.2024 बअदालत मातहत निरस्त फरमाया जावे तथा पट्टा संख्या 27 दिनांक 05.10.2009 बहक आवेदक प्रार्थी बहाल किये जोन का आदेश फरमाया जावे।

पत्रावली पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–01 की ओर से श्री चन्द्रशेखर एडवाकेट उपस्थित हुये। अप्रार्थी संख्या–02 की ओर से रोहिताश सिहाग एडवोकेट उपस्थित हुये। अप्रार्थी संख्या–03 स्वंय उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय की निगरानीधीन निर्णय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि न्यायालय हाजा में जैरकार निगरानी अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर के निर्णय दिनांक 02.07.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पट्‌टा संख्या 27 दिनांक 05.10.2009 को खारिज किया गया। अप्रार्थी संख्या–01 द्वारा पट्‌टा संख्या 27 के जारी होनें के लगभग 14 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत की गई, जो मियाद बाहर है। अप्रार्थी –01 बताया गया है कि उक्त भूखण्ड प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या–01 के पिता का भूखण्ड है। इस संबध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह भूखण्ड प्रार्थी का सुभाषचन्द्र पुत्र रामप्रताप से खरीदशुदा है एंव सुभाषचन्द्र से यह भूखण्ड वर्ष 2004 में संजना पत्नि स्व. मूलाराम जाति सांसी निवासी बिरकाली से खरीद किया था। अप्रार्थी संख्या–01 द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित हो कि यह भूखण्ड सन्तलाल द्वारा खरीदशुदा है। केवल कब्जे के आधार पर अपील पेश की गई। उक्त भूखण्ड के पूर्व तरफ सन्तलाल काबिज है एंव पश्चिम में प्रार्थी हरिसिंह काबिज है। ग्राम पंचायत बिरकाली द्वारा प्रार्थी हरिसिंह के पक्ष में पट्टा संख्या 27 दिनांक 05.10.2009 जारी किया हुआ है। उक्त प्लॉट हरिसिंह का स्वअर्जित प्लॉट है इसमें सन्तलाल का कोई हक व हिस्सा नहीं है, न ही सन्तलाल के पास इस प्लॉट के कोई दस्तावेज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को सुनवाई अवसर भी नहीं दिया एंव विधि विरूद्ध निर्णय दिनांक 02.07.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.03.28 14:06:44 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

2024 पारित कर प्रार्थी का पट्टा खारिज कर दिया। अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज की जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–01 ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत बिरकाली द्वारा हरिसिंह के पक्ष जारी पट्टा संख्या 27 को खारिज करवानें बाबत पंचायत समिति नोहर में अपील पेश की गई। पंचायत समिति नोहर द्वारा अपील पेश होनें पर मौका रिपोर्ट हेतु कमेटी का गठन किया गया। कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि मौके पर सन्तलाल काबिज है। प्रार्थी हरिसिंह के पास स्वअर्जित भूखण्ड का कोई दस्तावेज नहीं है। भूखण्ड खरीदशुदा होनें के दस्तावेज में स्पष्ट नहीं है कि यह प्लॉट हरिसिंह का है या नहीं। अप्रार्थी सन्तलाल उक्त पट्टाशुदा भूखण्ड का उपयोग–उपभोग कर रहा है। अतः पंचायत समिति का निर्णय बहाल रखा जाकर प्रार्थी की निगरानी खारिज की जावे।

अधिवक्ता प्रार्थी ने पुनः अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी सन्तलाल के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिससे यह साबित हो कि यह प्लॉट सन्तलाल के पिता जोराराम का है। यह भूखण्ड वर्ष 2004 में खरीद किया एंव वर्ष 2009 में पट्टा बनवाया। प्रार्थी हरिसिंह को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। मौका निरीक्षण कमेटी की रिपोर्ट पर ग्राम के मौजिज व्यक्तियों के हस्ताक्षर नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सुनवाई के ही 17 वर्ष पुराना दस्तावेज खारिज कर दिया। अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने पुनः अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी ने पंचायत समिति नोहर में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे पट्टा संख्या 27 को खारिज नहीं किया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया गया एंव पत्रावली को अवलोकन किया गया एंव अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली का अध्ययन किया गया तो पाया कि पट्टा संख्या 27 के भूखण्ड का खरीदशुदा होनें का कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है। पंचायत समिति नोहर द्वारा गठित कमेटी की मौका निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार पट्टा संख्या 27 के भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या–01 सन्तलाल मकान है एंव प्रार्थी हरिसिंह की जगह खाली है। उक्त भूखण्ड प्रार्थी हरिसिंह का खरीदशुदा होनें का कोई प्रमाण नहीं है। पट्टा संख्या 27 [illegible] को प्रार्थी हरिसिंह में पक्ष जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय अध्यक्ष प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.07.2024 में अंकित है प्रार्थी एंव अप्रार्थी–01 पट्टा संख्या 27 को खारिज करवाने बाबत सहमत है ताकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.03.28 14:06:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

उभयपक्ष अपना अलग–अलग कब्जा के अनुसार पट्टा जारी करवा सके लेकिन पत्रावली में सहमति का कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर का निर्णय दिनांक 02.07.2024 को अपास्त किया जाकर पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) की जाती है कि पुनः प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या–01 को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये निर्णय पारित करे।

अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 31/1/25 को सरेइजलास सुनाया गया

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर

(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.03.28 14:06:44 IST
Reason: SelfAttested